न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 106/2012

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 ओमप्रकाश पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरधारी पुत्र पालाराम।
2 लीलाराम पुत्र नारायण।
3 गंगा देवी बेवा नारायण।
4 पांची देवी बेवा बंशीधर (मृत)
4/1 आशा पुत्री पांची देवी।
4/2 मुकेश पुत्र पांची देवी।
4/3 सुभाष पुत्र पांची देवी।
4/4 सुनिल पुत्र पांची देवी।
5 रामकुमार पुत्र बंशीधर समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 तहसीलदार नीमकाथाना भूमिधारक।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना इजराय 11/2009 उनवानी गिरधारी बनाम ओमप्रकाश वगैरह दिनांक 26.06.2012

उपस्थित

1. श्री मदनलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–21-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा इजराय आवेदन संख्या 11/2009 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.1992 की इजराय के लिए आवेदन प्रस्तुत किया अप्रार्थीगण अपीलांट ने इसका जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि 16.11.1992 की डिक्री की इजराय 04.03.2008 को प्रस्तुत की गई है कानूनन 12 साल बाद डिक्री की क्रियान्विति नही हो सकती है। इजराय आवेदन खारिज किया जायें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 26.06.2012 को इजराय आवेदन स्वीकार कर डिक्री के निष्पादन के आदेश दिये है जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की डिक्री के निष्पादन की इजराय की सीमा 12 वर्ष अर्थात 15.11.2004 को समाप्त हो गई विचारण न्यायालय के समक्ष इजराय आवेदन दिनांक 04.03.2008 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का कारण भूमि बैंक के रहन होना बताया गया है यह कारण डिक्री के निष्पादन में बादक नही था हमने विचारण न्यायालय में राजीनामा किया ही नही रेस्पोडेंट का आवेदन इजराय मियाद बाहर है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 136, सीपीसी के आदेश 21 नियम 11 (2) की प्रति, डब्ल्यू एल सी (एससी) सिविल 2005 (2) पेज 93, डब्ल्यू एल सी (एस.सी) सिविल 2007 (1) पेज 668, डब्ल्यू एल.सी (एससी) सिविल 2006(1) पेज 290,435 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित की गई राजीनामा फर्जी होने के सम्बंध में अपीलांट ने कोई कार्यवाही नही की। इस निर्णय व डिक्री को कोई चुनौति नही दी गई वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत राजीनामा की डिक्री से सम्मिलित नही है। तकनिकी बिन्दु पर रेस्पोडेंट को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू एल.सी (राजस्थान) 2004 (4) पेज 513 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में डिक्री बरूऐ राजीनामा हुई है इस भूमि पर प्रतिवादी ने डिक्री का अमल दरामद होने से पूर्व ही सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण उठाकर भूमि को रहन रख दिया था ऐसी स्थिति में रहन मुक्त होने से पूर्व डिक्री का निष्पादन

Lono
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील...

विधिक रूप से सम्भव नही था। अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री को कभी भी चुनौति नही दी है। वकील अपीलांट ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है उनमें और प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता है। केवल मात्र मियाद को तकनीकी आधार बनाकर रेस्पोडेंट को न्याय से वंचित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत समझोता डिक्री के निष्पादन के सन्दर्भ में नही है अत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही पाये जाते है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Limitation Act, 1963, Art. 136- Execution of decree – Limitation- Executability- Compromise decree passed on 2-.4.1957 but same amended in 14.1.1970 – Execution application fileld on 28.4.2004 – Limitation to be computed from date when obstruction to compliance with decree was first put up by judgment- debtors- Compromise decree even of declaratory status on defferent footinh then a declaratory decree simpliciter- Compromise decree even if declaratory executable and execution application held within time. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से डिक्री के निष्पादन का आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर